


20/10/25

पत्रावली वास्ते तिण्डे पेरा दुरी उय्य फ़ उपखण्ड
पार पारीया वीभार डिमा जणा ह्य विस्तृत रिपोर्ट
अलग से लिखवादा ज़रूर शामिल डिमा गणा डिफ़ी
जरी लो नंबर से करे लो

निण्डे मुताब गणा


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/567



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: भरत जयप्रकाश मीना आर. ए. एस.

प्रकरण सं० 278/25 G.C.M.S.-2025/567

दायर दिनांक 15-09-2025

रामप्यारी पत्नी श्री मनीराम जाति जाट साकिन 5 आर एम रधुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज०

वादीया

बनाम

- 1-कांशीराम पुत्र श्री चुनीराम
- 2-दलीपराम पुत्र श्री चुनीराम
- 3-बृजलाल पुत्र श्री चुनीराम
- 4-कृष्णा पत्नी श्री दीवानचन्द
- 5-पवनकुमार पुत्र श्री जगदीश
- 6-गुड्डी देवी पत्नी जगदीश

अकवाम नाई साकिनान 5 आर एम रधुनाथपुरा
तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज०

- 7-गिरधारी पुत्र ओकार उर्फ ओमप्रकाश
- 8-जयपाल पुत्र ओकार उर्फ ओमप्रकाश
- 9-हंसराज पुत्र ओकार उर्फ ओमप्रकाश

अकवाम नाई साकिनान 5 आर एम रधुनाथपुरा
तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज०

- 10-शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इंडिया शाखा सूरतगढ
- 11-शाखा प्रबन्धक ओबीसी वर्तमान पी एन बी बैंक शाखा रधुपनाथपुरा
- 12-शाखा प्रबन्धक पी एन बी बैंक शाखा श्री विजयनगर
- 13- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज० काश्त० अधि० 1955

उपस्थित :-

- 1- धनवीर सिंह हुन्दल अभिभाषक वादीया ।
- 2- राजाराम भादू , राजवीर भादू अभिभाषक प्रतिवादी न० 1 ता 9
- 3- पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 28/10/2025

आज पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं वादीया एवं प्रतिवादी न० 1 ता 9 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 5 आर एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 11/12 प० न० 93/41 मु० न० 50 के किला न० 4/2 में 0.025 है० , 5/1 में 0.025 है० = 0.050 है० क०, प० न० 93/42 मु० न० 58 के किला न० 4 ता 6-15/1.012 है० क०, प० न० 93/49 मु० न० 49 के किला न० 12/1 में 0.202 है० , 19/0.253 है० , 20/1 में 0.038 है० , 21/1 में 0.228 है०, 22/1 में 0.228 है०, 23/1 में 0.228 है० = 1.177 है० क०, प० न० 93/50 मु० न० 59 के किला न० 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 23/4.554 है० क० कुल 6.793 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि में वादीया का 2265/6793 है० अर्थात् 2.265 है० , प्रतिवादी सं० 1 ता 3 प्रत्येक का 566/6793 हिस्सा अर्थात् 0.566 है०, प्रतिवादी सं० 4 का 141/6793 हिस्सा अर्थात् 0.141 है० , प्रतिवादी सं० 5 का 283/6793 हिस्सा अर्थात् 0.283 है० , प्रतिवादी सं० 6 का 142/6793 हिस्सा अर्थात् 0.142 है० , प्रतिवादी सं० 7 ता 9 प्रत्येक का 2264/20379 हिस्सा अर्थात् 0.754 है० खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। जिस पर कब्जा कास्त बदस्तुर शांतिपूर्वक वादीया एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 9 का चला आ रहा है। वादीया ने जैरवाद रकबा जरिये बैयनांमा खरीद किया है। वादीया को बैयनांमा के वक्त घरू बंटवारा अनुसार कब्जा कास्त वाके चक 5 आर एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 11/12 प० न० 93/42 मु० न० 58 के किला न० 4 ता 6-15/1.012 है० क०, प० न० 93/49 मु० न० 49 के किला न० 12/1 में 0.202 है० , 19/0.253 है० , 20/1 में 0.038 है० , 21/1 में 0.228 है०, 22/1 में 0.228 है०, 23/1 में 0.228 है० = 1.177 है० क०, प० न० 93/50 मु० न० 59 के किला न० 1/0.076 है० कमाण्ड पश्चिम पासा कुल 2.265 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि पर चला आ रहा है । इसी अनुसार वादीया खाता विभाजन करवाना चाहती है। इसलिए वादीया खातेदार काश्तकार होने के कारण खाता विभाजन करवाने की कानूनी अधिकारी है ।


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादी न0 1 ता 9, की तरफ से विद्वान अभिभाषक राजाराम भादू एवं राजवीर भादू उपस्थिति होकर प्रतिवादी न0 1 ता 9 द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत कर जबाब दावा अनुसार दावा डिक्री किये जाना स्वीकार किया। वादीया के द्वारा वाद-पत्र मे प्रार्थना-पत्र आदेश 6 नियम 17 पेश किया गया जो स्वीकार होने पर वादीया के द्वारा संशोधित वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया। दावा एवं जबाब दावा में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नही होने के कारण तनकी कायम नही की गई। पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये। साक्ष्य वादीया द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया।

वकील वादीया ने वाद-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी न0 1 ता 9 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 5 आर एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 11/12 प0 न0 93/41 मु0न0 50 के किला न0 4/2 में 0.025 है0, 5/1 में 0.025 है0 = 0.050 है0 क0, प0न0 93/42 मु0न0 58 के किला न0 4 ता 6-15/1.012 है0 क0, प0न0 93/49 मु0 न0 49 के किला न0 12/1 में 0.202 है0, 19/0.253 है0, 20/1 में 0.038 है0, 21/1 में 0.228 है0, 22/1 में 0.228 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 1.177 है0 क0, प0न0 93/50 मु0न0 59 के किला न0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 23/4.554 है0 क0 कुल 6.793 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में वादीया का 2265/6793 है0 अर्थात 2.265 है0, प्रतिवादी सं0 1 ता 3 प्रत्येक का 566/6793 हिस्सा अर्थात 0.566 है0, प्रतिवादी सं0 4 का 141/6793 हिस्सा अर्थात 0.141 है0, प्रतिवादी सं0 5 का 283/6793 हिस्सा अर्थात 0.283 है0, प्रतिवादी सं0 6 का 142/6793 हिस्सा अर्थात 0.142 है0, प्रतिवादी सं0 7 ता 9 प्रत्येक का 2264/20379 हिस्सा अर्थात 0.754 है0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। जिस पर कब्जा कास्त बदस्तुर शांतिपूर्वक वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 9 का चला आ रहा है। वादीया ने जैरवाद रकबा जरिये बैयनांमा खरीद किया है। वादीया को बैयनांमा के वक्त घरू बंटवारा अनुसार कब्जा कास्त वाके चक 5 आर एम के प0न0 93/41 मु0न0 50 के किला न0 4/2 में 0.025 है0, 5/1 में 0.025 है0 = 0.050 है0 क0, प0न0 93/42 मु0न0 58 के किला न0 4 ता 6-15/1.012 है0 क0, प0न0 93/49 मु0 न0 49 के किला न0 12/1 में 0.202 है0, 19/0.253 है0, 20/1 में 0.038 है0, 21/1 में 0.228 है0, 22/1 में 0.228 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 1.177 है0 क0, प0न0 93/50 मु0न0 59 के किला न0 21/0.026 है0 पश्चिम पासा कुल 2.265 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि, प्रतिवादी सं0 1 कांशीराम 566/6793 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 दलीप राम 566/6793 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 बृजलाल 566/6793 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 4 कृष्णा 141/6793 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 पवन कुमार 283/6793 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 गुड्डी 142/6793 हिस्सा के कब्जा कास्त में भूमि वाके चक 5 आर एम के प0न0 93/50 मु0न0 59 के किला न0 2/0.240 है0 पूर्वीपासा .3/0.253 है0, 7 ता 9/0.759 है0, 13-14/0.506 है0, 17/0.253 है0, 18/0.253 है0 कुल 2.264 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं0 7 ता 9 गिरधारी, जयपाल, हंसराज के कब्जा कास्त में भूमि वाके चक 5 आर एम के प0न0 93/50 मु0न0 59 के किला न0 1/0.253 है0, 2/0.013 है0 पश्चिम पासा, 10 ता 12/0.759 है0, 19-20/0.506 है0, 21/0.227 है0 पूर्वी पासा, 22-23/0.506 है0 कुल 2.264 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर कब्जा कास्त चला आ रहा है। इसी अनुसार वादीया खाता विभाजन करवाना चाहती है।

प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने जबाब दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त जैरवाद रकबा पर कब्जा कास्त चल आ रहा है इसी के अनुसार खाता विभाजन करवाने के इच्छुक है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादीया एवं प्रतिवादीगण द्वारा वाद-पत्र के तथ्यों में आपसी बंटवारे पर कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए वाके चक 5 आर एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 11/12 प0 न0 93/41 मु0न0 50 के किला न0 4/2 में 0.025 है0, 5/1 में 0.025 है0 = 0.050 है0 क0, प0न0 93/42 मु0न0 58 के किला न0 4 ता 6-15/1.012 है0 क0, प0न0 93/49 मु0 न0 49 के किला न0 12/1 में 0.202 है0, 19/0.253 है0, 20/1 में 0.038 है0, 21/1 में 0.228 है0, 22/1 में 0.228 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 1.177 है0 क0, प0न0 93/50 मु0न0 59 के किला न0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 23/4.554 है0 क0 कुल 6.793 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का खाता विभाजन किया जाना उचित समझते है।




उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा वाके चक 5 आर एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 11/12 प0 न0 93/41 मु0न0 50 के किला न0 4/2 में 0.025 है0 , 5/1 में 0.025 है0 = 0.050 है0 क0, प0न0 93/42 मु0न0 58 के किला न0 4 ता 6-15/1.012 है0 क0, प0न0 93/49 मु0 न0 49 के किला न0 12/1 में 0.202 है0 , 19/0.253 है0 , 20/1 में 0.038 है0 , 21/1 में 0.228 है0, 22/1 में 0.228 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 1.177 है0 क0, प0न0 93/50 मु0न0 59 के किला न0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 23/4.554 है0 क0 कुल 6.793 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के नाम निम्न प्रकार खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है:-

क. स.	नाम काश्तकार	चक	प0न0	किला नम्बर / रकबा
1	रामप्यारी पत्नी श्री मनीराम जाति जाट साकिन 5 आर एम रधुनाथपुरा तहसील सूरतगढ खातेदार	5 आर एम	93/41 (50) 93/42 (58) 93/49 (49) 93/50 (59)	4/2 में 0.025 है0, 5/1 में 0.025 है0 = 0.050 है0 क0 4 ता 6-15/1.012 है0 क0 12/1 में 0.202 है0 , 19/0.253 है0 , 20/1 में 0.038 है0, 21/1 में 0.228 है0, 22/1 में 0.228 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 1.177 है0 क0 21/0.026 है0 पश्चिम पासा कुल 2.265 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि
2	कांशीराम 0.566 है0 , दलीप राम 0.566 है0 , बृजलाल 0.566 है0 पिसरान श्री चुनीराम, कृष्णा पत्नी दीवानचन्द 0.141 है0, पवन कुमार पुत्र जगदीश 0.283 है0, गुड्डी पत्नी जगदीश 0.142 है0 अकवाम नाई साकिनान 5 आर एम रधुनाथपुरा तहसील सूरतगढ खातेदार	5 आर एम	93/50 (59)	2/0.240 है0 पूर्वी पासा, 3/0.253 है0, 7 ता 9/0.759 है0, 13-14/0.506 है0, 17/0.253 है0 , 18/0.253 है0 = 2.264 है0 खातेदारी भूमि
3	गिरधारी ,जयपाल, हंसराज पिसरान श्री ओकार उर्फ ओमप्रकाश जाति नाई साकिनान 5 आर एम रधुनाथपुरा तहसील सूरतगढ ब0हि0ब0 खातेदार	5 आर एम	93/50 (59)	1/0.253 है0 , 2/0.013 है0 पश्चिमपासा, 10 ता 12/0.759 है0, 19-20/0.506 है0, 21/0.227 है0 पूर्वी पासा, 22-23/0.506 है0 = 2.264 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि

इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा तथा इसी अनुसार आदेश दिये जाने की डिक्की जारी हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक २०-१०-२०२५ को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर
सूरतगढ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ



(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकदम इश्तदाई

अज अदालत-सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
बइजलास - श्री भरत जयप्रकाश मीना आर. ए. एस.

अनवान :

रामप्यारी पत्नी श्री मनीराम जाति जाट साकिन 5 आर एम रधुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री
गंगानगर राज0

----- वादीया

बनाम

- 1-कांशीराम पुत्र श्री चुनीराम
- 2-दलीपराम पुत्र श्री चुनीराम
- 3-बृजलाल पुत्र श्री चुनीराम
- 4-कृष्णा पत्नी श्री दीवानचन्द
- 5-पवनकुमार पुत्र श्री जगदीश
- 6-गुड्डी देवी पत्नी जगदीश

अकवाम नाई साकिनान 5 आर एम रधुनाथपुरा
तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

- 7-गिरधारी पुत्र ओकार उर्फ ओमप्रकाश
- 8-जयपाल पुत्र ओकार उर्फ ओमप्रकाश
- 9-हंसराज पुत्र ओकार उर्फ ओमप्रकाश

अकवाम नाई साकिनान 5 आर एम रधुनाथपुरा
तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

- 10-शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इंडिया शाखा सूरतगढ
- 11-शाखा प्रबन्धक ओबीसी वर्तमान पी एन बी बैंक शाखा रधुपनाथपुरा
- 12-शाखा प्रबन्धक पी एन बी बैंक शाखा श्री विजयनगर
- 13- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

----- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 209 आर. टी. ए. मुकदमा न0 278 वर्ष 2025 यह मुकदमा आज वास्ते
इनफियाल कितई रुबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीया धनवीर सिंह हुन्दलएवं प्रतिवादी न0 1 ता
9 का अभिभाषक राजाराम भादू , राजवीर भादू एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर
हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादीया स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये
जाते है :-

चक 5 आर एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 11/12 प0 न0 93/41 मु0न0 50 के किला न0
4/2 में 0.025 है0 , 5/1 में 0.025 है0 = 0.050 है0 क0, प0न0 93/42 मु0न0 58 के किला न0
4 ता 6-15/1.012 है0 क0, प0न0 93/49 मु0 न0 49 के किला न0 12/1 में 0.202 है0 , 19/0.
253 है0 , 20/1 में 0.038 है0 , 21/1 में 0.228 है0, 22/1 में 0.228 है0, 23/1 में 0.228 है0 = 1.
177 है0 क0, प0न0 93/50 मु0न0 59 के किला न0 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 23/4.554 है0 क0
कुल 6.793 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी स0 1 ता 9 के नाम निम्न प्रकार
खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है:-


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)


क्र.स.	नाम काश्तकार	चक	प०न०	किला नम्बर / रकबा
1	रामप्यारी पत्नी श्री मनीराम जाति जाट साकिन 5 आर एम रधुनाथपुरा तहसील सूरतगढ खातेदार	5 आर एम	93/41 (50) 93/42 (58) 93/49 (49) 93/50 (59)	4/2 में 0.025 है०, 5/1 में 0.025 है० = 0.050 है० क० 4 ता 6-15/1.012 है० क० 12/1 में 0.202 है० , 19/0.253 है० , 20/1 में 0.038 है०, 21/1 में 0.228 है०, 22/1 में 0.228 है०, 23/1 में 0.228 है० = 1.177 है० क० 21/0.026 है० पश्चिम पासा कुल 2.265 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि
2	कांशीराम 0.566 है० , दलीप राम 0.566 है० , बृजलाल 0.566 है० पिसरान श्री चुनीराम, कृष्णा पत्नी दीवानचन्द 0.141 है०, पवन कुमार पुत्र जगदीश 0.283 है०, गुड्डी पत्नी जगदीश 0.142 है० अकवाम नाई साकिनान 5 आर एम रधुनाथपुरा तहसील सूरतगढ खातेदार	5 आर एम	93/50 (59)	2/0.240 है० पूर्वी पासा, 3/0.253 है०, 7 ता 9/0.759 है०, 13-14/0.506 है०, 17/0.253 है० , 18/0.253 है० = 2.264 है० खातेदारी भूमि
3	गिरधारी ,जयपाल, हंसराज पिसरान श्री ओकार उर्फ ओमप्रकाश जाति नाई साकिनान 5 आर एम रधुनाथपुरा तहसील सूरतगढ ब०हि०ब० खातेदार	5 आर एम	93/50 (59)	1/0.253 है० , 2/0.013 है० पश्चिमपासा, 10 ता 12/0.759 है०, 19-20/0.506 है०, 21/0.227 है० पूर्वी पासा, 22-23/0.506 है० = 2.264 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि

इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है । किसी पक्षकार की भूमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा ।

नोज ...x.....मुबलिंग ...x.....बाबतx.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...x.....फसदो की पालना.....x.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28-10-2025 को जारी की गई ।




 (भरत जयप्रकाश मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 सहसूक्तमद (सज.)
 उपखण्ड अधिकारी
 (राजस्व) सूरतगढ